

# फर्द-अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीण्डर  
जिला-उदयपुर (राज.)

प्राथी श्रीमती अंवरकुंवा विपक्षी श्री देवीशिर

किस्म मुकदमा 88-53-188 पत्रावली संख्या 210/2/ सन

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर वादी/प्रतिवादी/ गवाह/आदेश पालनार्थ आदेशांक व दिनांक
17/4/23	<p>पत्रावली ललब की मर्ग। "परमाणु मर्गों के संग अभियान-2023" के अंतर्गत भीण्डर जिला में अधिवक्ता <u>अभरपुर (अभरपुर)</u> पत्रावली के दिनांक <u>12/5/23</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>JAM</u> सहायक कलक्टर भीण्डर</p>	
12/5/23	<p>पत्रावली अलग दौरे में पेश हुई। प्रकरण में पक्षों के बीच में फैसला किया। अतः पत्रावली के दिनांक <u>10/8/23</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>JAM</u> सहायक कलक्टर भीण्डर</p>	
10/8/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकार्यन उप./ उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अक्काश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे हैं। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम दिनांक <u>2/11/23</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">/ P.O. रथाना-180</p>	
02/11/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधि.वादी मप बाड़ीगण अनुपस्थित। आवारे दिलबदि मरि। सप्तम सांज 5 PM ले पत्रा ले। अतः बाड़ीगण मप अधिवक्ता वादी के अनुपस्थित रहने पर वादी या वाफ अदत हाजरी/अदत पेशी में रवारिद किता जाता है। पत्रावली फॉर्मल शुभार होत्र बम्बर से मप हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p>	

